न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 01/2025 दायर दिनाँक 08.01.2025

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. हेमासिंह पुत्र दीना 2. रामकरण सिंह पुत्र दीना समस्त जाति रावणा राजपूत निवासीगण बांठडी तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना–कुचामन।	बनाम	1. इकबाल खां पुत्र जोमरदीन खां जाति पठान निवासी शेरानी आबाद, तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना–कुचामन 2. जमना पुत्री बस्तीराम 3. नाथूराम पुत्र बस्तीराम 4. भंवराई पुत्री बस्तीराम समस्त जाति नाई निवासी बांठडी तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना–कुचामन 5. गिरधारीलाल पुत्र नन्दलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बांठडी तहसील छोटीखाटू 6. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बांठडी 7. तहसीलदार छोटीखाटू

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री हरफूल राव वकील प्रार्थी।
2. श्री मो. शरीफ शेरानी वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4
3. श्री तुफैल खान वकील अप्रार्थी संख्या 5

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **04.08.2025**

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 575 रकबा 1.2100 हैक्टे0 मौजा बांठड़ी पटवार हल्का बिंचावा भू.अ.नि. केराप तहसील छोटीखाटू में प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त का अवस्थित है। प्रार्थी उक्त खेत खसरा नम्बर 575 में वर्तमान में प्रार्थीगण के खेत तक पहुंचने हेतु कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। जिस हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 577 रकबा 1.6400 है. व खसरा संख्या 578 रकबा 0.1100 है. में से नये कट्टाणी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) अन्तर्गत (नये) कट्टाणी रास्ते की अनुमती लेना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:11:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण को उक्त वर्णित नम्बर से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन की तामिली पर अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता तुफैल खान ने वकालतनामा पेश किया व अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

अधिवक्ता ने इकबालिया जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 6 व 7 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित होने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की ओर अधिवक्ता मो. शरीफ शेरानी ने वकालतनामा व जवाब कर अपने जवाब में बताया कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 575 व उसके चिपते ही दक्षिणी तरफ 574 है, जो मैन हाई–वे रोड एन एच 458 के बिल्कुल नजदीक पडता है, इसलिए प्रार्थीगण के खेत में से कोई रास्ता नजदीक नहीं लगता है। खसरा संख्या 575 में संयुक्त खातेदारी है तो सभी काश्तकार बनाना चाहिये, क्योंकि प्रार्थी के हिस्से का हवाला भी नहीं दिया गया और ना ही प्रार्थी कहां काबिज है उसका भी हवाला दिया है। प्रार्थी का कब्जा खसरा संख्या 574 में है जिसके नजदीक रास्ता खसरा संख्या 951/577 पडता है। प्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 574 में है तो प्रार्थी के नजदीक रास्ता खसरा नम्बर 574 के दक्षिणी व पूर्वी कोने से खसरा नम्बर 951/577 में से हाई–वे बिलकुल नजदीक लगता है। जो कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना –पत्र खसरा संख्या 577 व 578 में से रास्ता गलत मांगा है। जिससे प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। वकील अप्रार्थी ने जवाब में विशेष कथन करते हुए बताया कि प्रार्थी हेमासिंह वगै. के खेत खसरा संख्या 574 व 575 में प्रार्थीगण की खातेदारी मौजूद है व बराबर हक हिस्सा मौजूद है जब खसरा नम्बर 574 जिसमें प्रार्थी की खातेदारी है उसके नजदीक रास्ता हाईवे– से 951/577 में से लगता है जिसका वर्णन अपने प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी नहीं किया गया है जबकि प्रार्थी के उक्त खेत ख.सं. 574 में आने जाने के लिए इस खसरा नम्बर 951/577 में से ही रास्ता नजदीक पडता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 4 के काफी दिनों से मनमुटाव व चुनावी रंजिशवंश एतराजी चल रही है इस कारण से प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 5 से मिलकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थीगण कभी भी खसरा नम्बर 577 व 578 में से कभी भी इनका आना जाना नहीं हुआ, मात्र परेशान करने की नियत से प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध पेश किया है पटवारी हल्का बिंचावा व भू.अ.नि. केराप द्वारा मौका देखा गया तो अप्रार्थीगण संख्या 2 व 4 को कोई तरह का नोटिस नहीं दिया गया व न ही अप्रार्थी संख्या 2 व 4 का मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये, न ही उनकी मौजूदगी में मौका देखा गया तथा न ही किसी नोटिस पर अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के हस्ताक्षर करवाये। तहसीलदार छोटीखाटू द्वारा जो नोटिस दिनांक 11.02.2025 को जारी किया गया था उसमें मौका मुआयना की तारीख 18.02.2025 समय 11.00 ए एम लिखा गया था जबकि मौका दिनांक 21.02.2025 को देखा गया है जिसमें समय का भी अंकन नहीं है तथा जो नोटिस दिनांक 11.02.2025 को जारी किया गया है उसमें उसका हवाला मौका रिपोर्ट में विधिवत सूचना व पक्षकार को मोबाईल से सूचना का हवाला दिया, जबकि अप्रार्थीगण 2 व 4 को न तो जरिये मोबाईल सूचना दी और न ही विधिवत तामिल करवाई। जब विधिवत तामिल व जरिये मोबाईल सूचना भी अप्रार्थीगण संख्या 2 व 4 को नहीं दी गई व न ही दिनांक 11.02.2025 को जारी नोटिस में दिनांक 18.02.2025 को मौका देखने का हवाला दिया गया था, लेकिन मौका दिनांक 18.02.2025 को देखकर प्रार्थी की सुविधा के अनुसार व अप्रार्थीगण को अंधेरे में रखकर दिनांक 21.02.2025 को बाले–बाले अपनी मनमर्जी के अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। जो दुषित मौका रिपोर्ट की श्रेणी में आती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:11:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

तहसीलदार छोटीखाटू से जरिये पत्रांक– भू.अ. / 2025 / 252 दिनांक 10.03.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार छोटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को रास्ता की आवश्यकता है। खेत खसरा संख्या 575 में पहुंचने बाबत कोई गै.मु.रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खेत खसरा संख्या 575 में पहुंचने बाबत् गै.मु.सडक खसरा संख्या 843 / 578 से खसरा संख्या 578 व 577 में होकर नजरी नक्शा अनुसार ए से बी तक नया रास्ता प्रस्तावित है। जिसकी लम्बाई 158 मीटर व चौडाई 4.57 मीटर कुल क्षैत्रफल 722 वर्गमीटर है। परन्तु गै.मु.सडक 827 / 577 से खेत खसरा संख्या 575 में पहुंचने बाबत सीधी दूरी खसरा संख्या 577 व 574 में से होकर नजरी नक्शा अनुसार सी से डी तक है जिसकी लम्बाई 134 मीटर व चौडाई 4.57 मीटर कुल क्षैत्रफल 612 वर्गमीटर है। नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता ए से बी पर खसरा संख्या 577 में एक झोपडीनुमा टीनशेड 11.15 वर्गमीटर का निर्माण किया हुआ है। गै.मु. सडक 827 / 577 से सीधी दूरी सी से डी तक रास्ते में किसी प्रकार की कच्ची व पक्की संरचना व वृक्ष नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि प्रकरण में दिनांक 21.02.2025 को आर आई, पटवारी द्वारा मौका देखा गया जिसमें दिनांक 11.02.2025 को एक नोटिस तहसीलदार छोटी खाटू द्वारा जारी किया गया था जिसमें मौका देखने की दिनांक 18.02.2025 लिखी हुई है तथा समय 11 एएम लिखा हुआ है जिस पर मात्र नाथूराम व इकबाल के हस्ताक्षर है बाकि पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं जबकि मौका दिनांक 21.02.2025 को देखा गया जिसका तहसीलदार छोटीखाटू द्वारा नोटिस जारी नहीं किया गया। प्रार्थीगण हेमासिंह का खेत खसरा संख्या 575 व 574 दोनों है तथा खसरा संख्या 574 दक्षिणी व पूर्वी कोणा हाईवे रोड एन एच 458 के बिलकुल निकटतम लगता है जबकि आर आई साहव व पटवारी द्वारा खसरा संख्या 574 का नाप हाईवे से कितनी लम्बाई पडती है लिखा नहीं है। प्रार्थी / अप्रार्थी संख्या 1 इकबाल अनपढ व्यक्ति है तथा आर आई साहब व पटवारी ने मिलीभगत करके उक्त मौका रिपोर्ट पर इकबाल खां के हस्ताक्षर करवा लिये तथा पढ कर नहीं सुनाया व मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 का कोई हस्ताक्षर नहीं तथा नही नोटीस पर हस्ताक्षर है नही अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 द्वारा नोटीस नहीं लेने वह तामिल नहीं करने का कोई नोटिस पर अंकन नहीं है। जब खसरा संख्या 574 व 575 दोनों ही प्रार्थी हेमासिंह वगैरह के है व 574 व के दक्षिणी व पूर्वी कोणा हाईवे के समीपथ लगता है यहां से रास्ता निकटतम है तो तहसीलदार महोदय द्वारा रिपोर्ट बनाई गयी है उसमें 574 के दक्षिणी व पूर्वी कोणा हाईवे के बीच की दूरी खसरा संख्या 951 / 577 में से कितनी दूरी है इसका हवाला मौका रिपोर्ट में कहीं पर भी नहीं दिया गया है। प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 574 के नजदीकी रास्ता 951 / 577 के दक्षिणी व पूर्वी कोणा से हाईवे रोड एनएच 458 की दूरी जरिये तहसीलदार छोटीखाटू से मंगवाये जाने के सादर आदेश फरमावे। वकील प्रार्थी ने आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर अपने जवाब में बताया कि रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर है उसकी उपस्थिति में मौका देखा गया था तथा [illegible] तथा मौका रिपोर्ट पर ही हस्ताक्षर है। तहसीलदार साहब की रिपोर्ट खसरा [illegible] की दक्षिणी दिशा में नजदीक रास्ता लगता है। जिसमें रास्ता दिया जाता है तो [illegible] की कोई आपत्ति नहीं है। खसरा संख्या 574 में कोई लेना [illegible] है। मो. इकबाल पढा लिखा है। मौका

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:11:06 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में देखा गया है। प्रार्थी ने अपने खेत में नजदीक दूरी वाले खेत से रास्ता मांगा है। अन्य खेताय से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को डिले करने की नियत से पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी के मुख्यतः कथन आपत्ति प्रार्थना पत्र पर आधारित रहे एवं वकील प्रार्थी के कथन मुख्यतः आपत्ति प्रार्थना पत्र के जवाब पर आधारित रहे। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। वकील अप्रार्थी का कथन है कि मौका रिपोर्ट एवं तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस पर अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के हस्ताक्षर नहीं है जबकि रिपोर्ट के अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी संख्या 3 नाथुराम के मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर है एवं अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये है। अतः अप्रार्थी अधिवक्ता का यह कथन निराधार है। अप्रार्थी अधिवक्ता का अन्य कथन है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.02.2025 को मौका देखे जाने के नोटिस जारी किये गये है जबकि मौका दिनांक 21.02.2025 को देखा गया है अवलोकन करने पर पाया गया कि वक्त मौका निरिक्षण अप्रार्थीगण मौके पर उपस्थित थे जिन्हें मौका रिपोर्ट पढकर सुनाई गई। अतः अप्रार्थी अधिवक्ता का यह कथन निराधार है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 1 इकबाल खां को अनपढ बताया है जबकि मौका रिपोर्ट पर इकबाल खां स्वयं के हस्ताक्षर है एवं मौका रिपोर्ट अप्रार्थी को पढकर सुनाई व समझाई गई है। अतः अप्रार्थी का यह कथन निराधार है। अप्रार्थी अधिवक्ता का अन्य कथन यह है कि प्रार्थी हेमासिंह का खेत खसरा संख्या 574 व 575 दोनों है खेत खसरा संख्या 574 के नजदीकी रास्ता 951/577 के दक्षिणी व पूर्वी कोणा है जिसका रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा खेत खसरा संख्या 575 में आने जाने हेतु रास्ता चाहा है अतः तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट खसरा संख्या 575 के परिपेक्ष्य में तैयार की गई है जो कि उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचनों के आधार पर वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की अन्तिम बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन करने, तत्समय विधि का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में खसरा संख्या 577 व 578 में नजरी नक्शा में मार्क ए से बी रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 577 झोपडीनुमा टीनशेड का निर्माण किया हुआ बताया गया है। अतः तहसीलदार द्वारा अन्य रास्ता खसरा संख्या 574 व 577 में मार्क सी से डी प्रस्तावित किया गया है। वकील प्रार्थीगण तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट से सहमत है। तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त रिपोर्ट से न्यायालय सहमत है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शा अनुसार मार्क सी से डी को राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, प्रार्थीगण की सहमति, तहसीलदार छोटीखाटू की रिपोर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:11:06 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

—:: आदेश ::—

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर मौजा बांठडी के खेत खसरा सं0 575 रकबा 1.2100 हैक्टे0 में आवागमन हेतु तहसीलदार छोटीखाटू की मौका रिपोर्ट पत्रांक–भू.अ./2025/252 दिनांक 10.03.2025 में दर्शित प्रस्तावित रास्ता मार्क सी से डी भूमि को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है तहसीलदार छोटीखाटू राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार छोटी खाटू की मौका रिपोर्ट पत्रांक– भू.अ./2025/252 दिनांक 10.03.2025 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

Vikas

(विकास मोहन भाटी, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **04.08.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:11:06 IST
Reason: SelfAttested